न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/5875

प्रकरण मा.वि. 4-12-17

22-12-17

मुकेश शर्मा 4-12-17 एडवोकेट ग्वालियर

श्रीमती हिरिया पत्नी बद्रीप्रसाद खंगार
निवासी ग्राम घटरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासान

..... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 194/स्वप्रेरणा निगरानी/04-05 में पारित आदेश दिनांक 26.9.17 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

अवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, आ.नं. 164/2 रकवा 0.186 है. व 1317/1 रकवा 0.82 है0 कुल रकवा 0.268 है0. भूमि ग्राम घटरा में आवेदिका की भूमियों के बीचों बीच होने के कारण चक व्यवस्थापन का आवेदन आवेदिका ने तहसील न्यायालय गौरिहार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसील न्यायालय ने प्र.क्रं. 6658/बी–21/01–02 दर्ज कर विधिवत प्रकिया का पालन करते हुये अपने आदेश दिनांक 29.11.02 द्वारा आवेदिका के पक्ष में व्यवस्थापन किये जाने का वैध आदेश पारित किया था।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) 4/12
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4875 हिरिया विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 194/स्वप्रेरणा निगरानी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य	20/2/2019